

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी भावना गंगी)

- प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./17/2019
1. श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
 2. श्री मदन सिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर

- बनाम
1. श्री नारायण पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
 2. श्री भाला पुत्र श्री हजारी जाति गुर्जर निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
 3. श्री पांचू पुत्र श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
 4. श्रीमति हंजा पत्नि श्री कालू जाति गुर्जर निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर
 5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

उपस्थित :- 1. वकील अपीलान्ट श्री धर्मवीर बामनिया

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 27.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सरगांव के खसरा नं. 263 रकबा 6.40 हैं, 503 रकबा 1.05 हैं कुल किता 2 रकबा 7.45 हैं. किस्म बारानी-3 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सरगांव के खसरा नं. 263 रकबा 6.40 हैं, 503 रकबा 1.05 हैं कुल किता 2 रकबा 7.45 हैं. किस्म बारानी-3 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक- छछून्दरा को 1,500/-रूपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु० मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गंगी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

